

### प्रारूप-1

**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र**  
**शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014**

प्रमाणित	किया	जाता	है	कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....	सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....	निवासी.ग्राम.....	.....	तहसी
ल.....	नगर.....	जिला.....	.....	उत्तर प्रदेश राज्य
की.....	पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....	पूर्वोक्त	.....	
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की	.....	.....		
निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।	.....	.....	.....	
श्री/श्रीमती/कुमारी.....	तथा/अथवा	उनका	परिवार	उत्तर प्रदेश के
ग्राम.....	.....	.....	.....	जिला.....में
सामान्यतः रहता है।	.....	.....	.....	.....
स्थान.....	.....	.....	.....	.....
दिनांक.....	.....	.....	.....	.....
मुहर.....	.....	.....	.....	.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

## प्रारूप-2

**उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र**  
**शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014**

प्रमाणित	किया	जाता	है	कि
श्री/श्रीमती/कुमारी.....	सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....			निवासी.ग्राम.....
.....तहसील.....	.....नगर.....	.....जिला.....		उत्तर प्रदेश राज्य
की.....	जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय- समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....			तथा.....
अथवा	उनका		परिवार	उत्तर
प्रदेशके.....	ग्राम.....	तहसील.....	.....नगर.....	जिला.....
.....में सामान्यतया रहता है।				
स्थान.....				
दिनांक.....				
मुहर.....				

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना  
 मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/  
 जिला समाज कल्याण अधिकारी